भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3992
(दिनांक 19.03.2021 को उत्तर देने के लिए)

रेडियो सेवा का परिचालन

3992. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री डी.के. सुरेश:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेडियो संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भारत जैसे विशाल देश में भाषा को जीवित रखने के लिए रेडियो एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में रेडियो सेवाओं के परिचालन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): जी हां। रेडियो जन समुदाय से संपर्क स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह नीति निर्माताओं, सरकारी निकायों और जनता के बीच संबंध तथा आदान-प्रदान के लिए भी एक प्लेटफार्म है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी (एआईआर) पर मन की बात के माध्यम से भारत के नागरिकों तक पहुंचते हैं, जिसकी पहुंच देश के भौगोलिक क्षेत्र के 92.00% क्षेत्र में फैली 99.20% आबादी तक है।

आकाशवाणी सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। वर्तमान में, आकाशवाणी के 46 क्षेत्रीय समाचार एकक 23 प्रमुख भाषाओं और 181 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है।

इसके अलावा, प्राइवेट एफएम रेडियो चरण III नीति के तहत देश के 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रो में फैले 111 शहरों से 386 प्राइवेट एफएम रेडियो चैनलो का संचालन हो रहा है। प्राइवेट एफएम रेडियो उस शहर की स्थानीय भाषा और बोलियो में बोलने वाले रेडियो जॉकी द्वारा स्थानीय भाषा को बढ़ावा देते हैं तथा स्थानीय सामग्री को बढ़ावा देता है।

सामुदायिक रेडियो लोक सेवा और वाणिज्यिक मीडिया से अलग रेडियो प्रसारण में तीसरी श्रेणी है जो उनके जीवन से संबंधित स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के बीच स्थानीय आवाज को उठाने के लिए प्लेटफार्म प्रदान करता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) को अनिवार्य रूप से अल्प शक्ति रेडियो स्टेशन के रूप में स्थापित किया जाता है और स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित स्थानीय मुद्दो पर केंद्रित करने के लिए स्थानीय समुदायो द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए, सामुदायिक रेडियो स्थानीय भाषा और बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए संचार का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है, विशेष रूप से इन क्षेत्रों के लिए जहां मेनस्ट्रीम मीडिया की मौजूदगी सीमित है।

(ग): सरकार ने देश में रेडियो सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए है। सभी आकाशवाणी सेवाओं का सक्रिय सोशल मीडिया मौजूद है। आकाशवाणी सेवाओं पर प्रसारित सामग्री को यू-टयूब के माध्यम से श्रोताओं के लिए मांग-पर उपलब्ध करवाया गया है। पहली बार, विजुअल रेडियो कार्यक्रमों को शुरू किया गया है जहां रेडियो कार्यक्रमों जैसे कि लाइव कमेंट्री को स्टूडियों में कैमरा के साथ लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है ताकि आवाज के पीछे के चेहरे को देखा और सुना जा सके। 40 से अधिक आकाशवाणी सेवाओं को "डीडी फ्री डिश" डीटीएच प्लेटफार्म पर सैटेलाइट रेडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही, 200 आकाशवाणी सेवाओं को विश्व में कहीं पर भी सुनने के लिए "न्यूजऑनएअर" एप के माध्यम से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। इसके अलावा, डिजिटल रेडियो मानकों का प्रौद्योगिकी का संवर्धन करने और विभिन्न सेवाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए आकलन किया जा रहा है।

प्राइवेट एफएम रेडियो चरण III नीति में एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों में रेडियो कवरेज के लिए प्रावधान है जब तक कि समीपवर्ती शहर द्वारा कवर न किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त, एक लाख से कम की जनसंख्या वाले पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की सीमावर्ती क्षेत्रों के 11 शहरों को भी शामिल किया गया है। चरण III नीति में प्राइवेट एजेंसियो को अनुमति प्रदान करने के लिए बैच में ई-नीलामी के आयोजन का प्रावधान है। सरकार ने दो -बैच में ई-नीलामी का आयोजन किया जिसमें 163 एफएम रेडियो चैनलों को अनुमति प्रदान की गई।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करना स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों का स्वैच्छिक प्रयास है। सरकार ने विशेषरूप से सामुदायिक रेडियो डार्क क्षेत्रों में सीआरएस की स्थापना के लिए पात्र संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर जागरुकता कार्यशालाओं का आयोजन करके देश में सामुदायिक रेडियो सेवा को बढ़ाने के लिए भी कई उपाय किए हैं और तटीय राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ मिलकर विशेषरूप से उन क्षेत्रों में, जहां वर्तमान में सीआरएस प्रचालनरत नही है, सीआरएस की स्थापना के लिए पात्र संगठनों की पहचान करना और उन्हें तैयार करना।

******